



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 67]

No. 67]

नई दिल्ली, सोमवार, फरवरी 4, 2002/माघ 15, 1923

NEW DELHI, MONDAY, FEBRUARY 4, 2002/MAGHA 15, 1923

गृह मंत्रालय

शुद्धि-पत्र

नई दिल्ली, 4 फरवरी, 2002

सा.का.नि. 80(अ).—महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम, 1999(1999 का महाराष्ट्र अधिनियम सं.30)को राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र, दिल्ली पर विस्तारित करने से संबंधित भारत सरकार, गृह मंत्रालय की दिनांक 2 जनवरी, 2002 की अधिसूचना सं० 6(अ), जो उसी तारीख को भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खण्ड 3, उप-खण्ड (i) में प्रकाशित हुई थी, के हिन्दी रूपान्तर में,—

- (i) पृष्ठ सं. 2, पंक्ति 11 में, “अपर पुलिस आयुक्त” शब्दों के स्थान पर “विशेष पुलिस आयुक्त” शब्द पढ़े जाएं ;
- (ii) पृष्ठ सं. 3, पंक्ति 10 में, “अपर पुलिस आयुक्त” शब्दों के स्थान पर “विशेष पुलिस आयुक्त” शब्द पढ़े जाएं ।

[फा. सं. यू-11015/1/2001-यू०टी०एल०]

पी. के. जलाली, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

CORRIGENDUM

New Delhi, the 4th February, 2002

G.S.R. 80(E). — In the English version of the notification of the Government of India in the Ministry of Home Affairs number G.S.R. 6 (E) dated the 2nd January, 2002. published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) of the same date, regarding extension of the Maharashtra Control of Organised Crime Act, 1999 (Maharashtra Act No. XXX of 1999) to the National Capital Territory of Delhi,—

- (i) at page 28, in line 18, for “Additional Commissioner of Police”, read “Special Commissioner of Police”;
- (ii) at page 29, in line 20, for “Additional Commissioner of Police”, read “Special Commissioner of Police”.

[File No. U-11015/1/2001-UTL]

P.K.JALALI, Jt. Secy.